



भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
खेल विभाग

क्र. सं.....

मि० सं० ७२-१८/२००६-खेल-१

दिनांक २३-११-२०११

यह प्रमाणित किया जाता है कि ~~ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ~~
~~इंडिया~~.....
जो सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम, 1860 / कंपनी अधिनियम, 1956 /
भारतीय न्यास अधिनियम, 1982 के कार्यालय सं० १६६५/१६८२-८३ के अनुसार
दि० १५-६-१८८२ के अनुसार
पंजीकृत किया गया है और जिसका पंजीकृत कार्यालय/कार्यालय
.....~~लखनऊ~~..... पर स्थित है और जिसके
अध्यक्ष ~~श्री हरीश कुमार~~..... और महासचिव ~~श्री प्रवीन कुमार~~.....
हैं, को ~~ताइक्वांडो~~..... खेल विधा के लिए राष्ट्रीय खेल परिसंघ के रूप
में ~~२०११~~..... कैलेण्डर वर्ष के लिए मान्यता दी जाती है।

उपरोक्त मान्यता से यह परिसंघ मंत्रालय की "राष्ट्रीय खेल परिसंघों की सहायता योजना" और अन्य उपयुक्त योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध वित्तीय और दूसरे प्रकार की सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाने के योग्य होगा।

यह उल्लेखनीय है कि परिसंघ ने सरकार द्वारा आयु और समय-सीमा संबंधी दिशानिर्देशों को स्वीकार कर लिया है और इसे अपने संविधान में शामिल करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा।

~~म. चंदा~~
(मुकुल चंदा)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार
(खेल ब्यूरो)